Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में आबकारी निरीक्षक 3 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 अगस्त, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.यू.–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक, जयपुर पूर्व, जयपुर को परिवादी से **3 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू.–प्रथम, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके लाईसेंसशुदा शराब की दूकानों को निर्बाध रूप से चलाने देने की एवज में अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक, जयपुर पूर्व, जयपुर द्वारा **3 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी एस.यू.–प्रथम, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **पुलिस निरीक्षक श्री अर्चना मीणा** द्वारा आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर निवासी प्लॉट नं0 138, लक्ष्मण कॉलोनी, श्यामनगर, जयपुर हाल आबकारी निरीक्षक, जयपुर पूर्व, जयपुर को परिवादी से **3 लाख रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।